

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 2520/2022 आवेदन सं० 25/08/2022  
 चौक श्री. Sunil Kumar, Vishwajeet Pat, Amit Kumar, Vikas Kumar  
 Sparoject Singh and Chudhu Kumar

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में लिखे गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2004 से ता० 15/11/2021 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला.....

चला है अतः

25/08/2022

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1/1/2022	Aadmpur						
	Thana	20/08/2022						
	Tawri	18/08/2022						
	Klata	25						
	Plot	59						
	Area	18 Decimal						

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत की उनके बारे में उल्लेख डो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।  
में यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संब्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संब्यवहारों और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): 

(पदनाम): USE

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:

614135

25-05-2022





मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संब्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार प्रेषित गये हैं यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्वाहित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वे भी दस्तावेजों से प्रमाणित संब्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जा व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियां देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी मूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँडे गये संब्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिये विभाग आवेदक द्वारा दूँडे गये ऐसे संब्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक

Danapur

ज्ञाप संख्या

आवेदक श्री

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या

6135

Sunil Kumar Chhabrajee Pal, Amit Kumar Nalca Kumar Saenrajee Singh and Gayatri Kumar

Area Manager UCHL Patna

दिनांक

25-05-2022

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur  
25-05-2022

